न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 57 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. फौजाराम पुत्र मेलारामजी जाति मेगवंशी निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर		1. खीमसिह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 2. त्हसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 97 / 2012 बअनवान खीमसिंह बनाम फौजाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 06.04.2016 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.11.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मौजा सिवाना के खसरा नम्बर 143 रकबा 15.13 बीघा में बदिशा उतर पूर्व में आयी भूमि खसरा नम्बर 1939 / 227 में आवागमन हेतु बदिशा उतरी माठ माठ से होते हुए आगे कटान मार्ग सिवाना से समदडी जाने वाली सडक पर जाता है खसरा नम्बर 142 प्रार्थी की खातेदारी है प्रार्थी के आवागमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थी के खेत वदिशा पूर्व में स्थित खसरा नम्बर 2341 / 227 राजस्थान सरकार के नाम आई हुई है में से होता हुए विप्रार्थी के खेत के बदिशा उतरी माठ में स्थित विप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2341 / 227 में से संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्ज वरंग लाल रास्ता विगत 30 वर्षों से मोके पर चालू हालात में चल रहा। रास्ता स्वीकृत करने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना रेस्पोडेंटस अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित न होते हुए भी अपीलकर्ता के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्शाकर उक्त प्रकरण में अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। उतरदाता संख्या 01 ने अनुचित जाति के सदस्य की भूमि अपने कब्जे में लेकर एक मात्र अपना स्वहित अर्जित करने की मंशा रखते हुए राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करवाया है जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि उतरदाता संख्या 01 अर्सा डेढ माह पूर्व उतरदाता संख्या 01 अपने साथ राजस्व अधिकारियों को लाकर उक्त अपीलाधीन आदेश की पाना सुनिश्चित करवाने लगा तब अपीलकर्ता को सर्वप्रथम उक्त आलोच्य आदेश का ज्ञान हुआ जिस पर अपीलकर्ता द्वारा उक्त आदेश की नकल प्राप्त की नकल प्राप्ति तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक सामरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। मौका फर्द दिनांक 24.06.2013 में स्पष्ट किया गया है कि "आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई कटान मार्ग प्रार्थी के खातेदारी खेत में आने-जाने का नहीं है।" रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 97/2012 बअनवान खीमसिंह बनाम फौजाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 06.04.2016 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर